कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री भारतीय ग्रामोद्योग समिति, 24 / ए-2, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**308 / 08, 23.06.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री भारतीय ग्रामोद्योग समिति, 24 / ए-2, टैगोर टाउन, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23.06.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. प्रार्थी की समिति उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग से पंजीकृत है और रु0 50,00,000/- से कम बिक्री होने के कारण उनके द्वारा निर्माण करके बेचे गये कलर टी0 वी0 पर कोई करदेयता नहीं थी। दिनांक 31.12.2007 को बचे हुए स्टाक पर ITC की स्थिति क्या होगी।

2.उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत व्यापार कर में मिली हुई छूट की सुविधा मिलेगी अथवा नहीं।

3. टी0 वी0 का निर्माण व बिक्री किया गया है। उस पर कर की देयता क्या होगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-1419, दिनांक 02.08.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा की गयी बिक्री उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-2882, दिनांक 07.10.2004 द्वारा करमुक्त थी क्योंकि उनका विक्रय धन रु0 50,00,000/- से कम था। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में उक्त विज्ञप्ति लागू नहीं है। अत: दिनांक 31.12.2007 के बाद 12.5% की दर से कर देय है और दिनांक 31-12-2007 को अवशेष स्टाक पर कोई ITC देय नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद की आख्या में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सन्दर्भ में विधिक स्थिति निम्न भाँति पायी गयी :-

(1) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत /

प्रमाणित इकाइयों को छूट देय नहीं है। इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर नियमानुसार करदेयता होगी।

(2) दिनांक 01.01.2008 को शेष बचे स्टाक पर कोई ITC देय नहीं है।

(3) टेलीविजन उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 जनवरी, 2014

ह0 / 02.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।